

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रमुख बिंदु

- लॉन्च वर्ष: 2015
- प्रकार: केन्द्रीय क्षेत्र योजना।
- उद्देश्य: लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना।
- नोडल एजेंसी: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय।
- लाभार्थी: गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- पीएमवाई के बारे में: इसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजन गतिविधियों के लिये आसान जमानत-मुक्त सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
 - मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रफिइनेंस एजेंसी) को वर्ष 2015 में बैंकों, माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया था।
 - यह वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त, ऋण गारंटी और वकिास सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें वनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं में सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में मदद मिलती है।
- विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण सीमाएँ: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमवाई) के तहत चार अलग-अलग श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक व्यवसाय वकिास के विभिन्न चरणों को पूरा करता है। प्रत्येक श्रेणी के लिये ऋण सीमाएँ इस प्रकार हैं:
 - शशि श्रेणी:**
 - ऋण सीमा:** 50,000 रुपए तक
 - यह श्रेणी उन व्यवसायों के लिये तैयार की गई है जो अपने परचिलन के प्रारंभिक चरण में हैं और जिन्हें अपनी गतिविधियों को शुरू करने या बनाए रखने के लिये न्यूनतम पूँजी की आवश्यकता है।
 - कशिर श्रेणी:**
 - ऋण सीमा:** 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक
 - कशिर श्रेणी उन व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है, जो वकिास के चरण में हैं और जिन्हें अपने परचिलन का वसितार करने या अपनी कार्यशील पूँजी बढ़ाने के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।
 - तरुण श्रेणी:**
 - ऋण सीमा:** 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए
 - तरुण श्रेणी उन सुस्थापित व्यवसायों को लाभ पहुँचाती है, जिन्हें अपने परचिलन को बढ़ाने, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने तथा अपनी बाजार पहुँच का वसितार करने के लिये बड़े ऋणों की आवश्यकता होती है।
 - तरुण प्लस श्रेणी:**
 - ऋण सीमा:** 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए (केंद्रीय बजट 2024-25 में बढ़ाई गई)
 - यह नई शुरू की गई श्रेणी उन व्यवसायों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने अपने उद्यम के सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है और जो उच्च वित्तपोषण आवश्यकताओं के साथ अपने परचिलन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं।

MUDRA LOANS CATEGORIES



01.

Shishu

Covering loans up to Rs. 50,000



02.

Kishore

Covering loans above Rs. 50,000 and up to 5 Lakhs

03.

Tarun

Covering loans above Rs 5 Lakhs and up to 10 Lakhs

04.

Tarun Plus

Covering loans above Rs. 10 Lakhs and up to 20 Lakhs



- **पात्र लाभार्थी:** पात्र उधारकर्ताओं में व्यक्ति, स्वामतिव संस्थाएँ, साझेदारी फरम, नजी और सार्वजनिक लमिटेड कंपनियाँ तथा अन्य कानूनी संस्थाएँ शामिल हैं।
- **ऋण संवतिरण:** पीएमवाई के अंतर्गत ऋण वभिन्न सदस्य ऋण संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा वतिरति कयि जाते हैं, जनिमें बैंक (सार्वजनिक और नजी क्षेत्र), कषेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वतित बैंक, एमएफआई तथा एनबीएफसी शामिल हैं।
- **जमानत-मुक्त ऋण:** पीएमवाई की एक महत्वपूर्ण वशिष्ठा यह है कयि जमानत मुक्त ऋण प्रदान करता है।
 - इससे यह उन उद्यमियों के लयि सुलभ हो जाता है जनिके पास गरिवी रखने के लयि संपत्ति नहीं होती, जसिसे वतित प्राप्त करने में बाधाएँ कम हो जाती हैं।
- **ऋण गारंटी:** सूक्ष्म इकाइयों के लयि ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) पीएमवाई के अंतर्गत ऋणों के लयि गारंटी कवरेज प्रदान करके अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
 - यह सुनश्चिति करता है कयि वित्तीय संस्थाओं को न्यूनता से बचाया जाए, जसिसे सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को अधिक ऋण देने को प्रोत्साहन मलै।

Need for the MUDRA Yojana

Inclusive Growth

Ensuring economic benefits reach all segments



Support Entrepreneurial Potential

The innovative spirit and capabilities of India's youth



Addressing Financial Gaps

The need for accessible formal financial services



Boosting Small Businesses

The backbone of the economy needing support



मुद्रा कार्ड

- **उद्देश्य:** मुद्रा कार्ड एक नवीन वतितीय उत्पाद है, जो उधारकर्ताओं को परेशानी मुक्त ऋण सुवधा प्रदान करता है, जसिसे वे अपनी कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को कुशलतापूरवक प्रबंधति कर सकते हैं।
- **रुपे डेबटि कार्ड:** यह कार्ड रुपे डेबटि कार्ड के रूप में कार्य करता है, जसिसे उद्यमियों को एटीएम से नकदी नकालने, पॉइंट ऑफ सेल

- (पीओएस) मशीनों का उपयोग करके भुगतान करने और व्यवसाय से संबंधित खर्चों के लिये सीधे धन तक पहुँचने की सुविधा मिलती है।
- ओवरड्राफ्ट सुविधा: मुद्रा कार्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि उधारकर्ता इसका उपयोग करेंट लाइन के रूप में कर सकते हैं और जब भी उनके पास अतिरिक्त नकदी होती है, तो इसे चुका सकते हैं, जिससे ब्याज शुल्क को कम करके ऋण की लागत कम हो जाती है।

योजना कार्यान्वयन में सुधार के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- ऑनलाइन आवेदन प्लेटफार्म:** इस योजना में PSBLoansin59minutes और उद्यमी मतिर जैसे ऑनलाइन पोर्टलों को एकीकृत किया गया है, जिससे उद्यमियों के लिये अपने घर या कार्यालय से ऋण के लिये आवेदन करना आसान हो गया है।
 - इसके अलावा, मुद्रा मतिर एक मोबाइल ऐप है, जो मुद्रा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ऋण चाहने वालों को बैंकरों के पास ले जाता है तथा ऋण-संबंधी सामग्री और आवेदन-पत्र प्रदान करता है।
- प्रचार अभियान:** पीएमवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये देश भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र उद्यमी इस योजना और इसके लाभों से अवगत हों।
- सरलीकृत प्रपत्र:** प्रपत्रों को सुव्यवस्थित करके आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिससे वे संभावित उधारकर्ताओं के लिये अधिक सुलभ और कम समय लेने वाले बन गए हैं।
- नोडल अधिकारी:** मुद्रा ने योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करने, आवेदकों के लिये प्रभावी नियमों और सहायता सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में मुद्रा नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
- ब्याज अनुदान:** पीएमवाई के अंतर्गत शशि ऋण के शीघ्र पुनरभुगतान पर 2% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, जो सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिये 12 महीने की अवधि के लिये लागू है।

पीएमवाई की उपलब्धियाँ

- महत्वपूर्ण वित्तीय संवत्तिरण:** 13 दिसंबर 2024 तक 3.20 करोड़ पीएमवाई ऋण स्वीकृत किये गए हैं, जिनकी राशि ₹3,02,967.03 करोड़ रुपए है।
 - इसमें से ₹2,95,808.08 करोड़ रुपए वितरित किये जा चुके हैं, जो योजना के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।
- हाशमि पर पड़े समूहों का सशक्तीकरण:** लगभग 69% मुद्रा ऋण खाते महिलाओं के हैं, जबकि 51% खाते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/और अन्य पछिड़ा वर्ग के उद्यमियों के हैं, जिससे लैंगिक समानता और समाजिक समता को बढ़ावा मिलता है।
- स्वरोज़गार को बढ़ावा:** इस योजना ने वशीष रूप से ग्रामीण और अरद्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वरोज़गार को प्रोत्साहित किया है, जिससे लघु व्यवसाय विकास तथा रोजगार सुरक्षा को बढ़ावा मिला है।
- गैर-निषिपादित आस्तियों (एनपीए) में कमी:** इस योजना के तहत एनपीए दर वित्त वर्ष 21 में 3.61% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 2.1% हो गई, जो उधारकर्ताओं के बीच बेहतर वित्तीय अनुशासन को दर्शाती है।
- ऋण जोखमि में लगातार वृद्धि:** कुल मुद्रा ऋण जोखमि वित्त वर्ष 22 में ₹3.3 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में ₹5 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो योजना की विस्तारित पहुँच को दर्शाता है।
- ग्रामीण समावेशन पर ध्यान:** इस योजना ने ग्रामीण उद्यमियों को प्रभावित किया है, हालांकि ऋण का असमान क्षेत्रीय वितरण लक्षित पहुँच की आवश्यकता को उजागर करता है।

Achievements Under PMMY Since Inception

Financial Year :	: 2024-2025
No. Of PMMY Loans Sanctioned :	: 32013414 *
Amount Sanctioned :	: ₹ 302967.03 CRORE *
Amount Disbursed :	: ₹ 295808.08 CRORE *

*Provisional Data

Last Updated on: 13/12/2024